प्रेषक :

विजय कुमार डुँगराकोटी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–2, अम्बेडकरनगर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
अम्बेडकरनगर।

विषय प्रार्थी की पत्नी के उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में जिला हरिद्वार के बाहय न्यायालय लक्सर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त होने के कारण प्रार्थी का स्थानान्तरण हरिद्वार के आस–पास के जिलों में करने के संबंध में समयपूर्व स्थानान्तरण हेतु प्रत्यावेदन।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन सं0––505/एडमिन (सर्विसेस)/2022 दिनांकित 03 जुलाई, 2022 कि अनुसार प्रार्थी का स्थानान्तरण जिला सहारनपुर से जिला अम्बेडकरनगर हुआ, जिसके अनुपालन में प्रार्थी ने जिला अम्बेडकरनगर में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद कार्यभार ग्रहण किया।

इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती सीमा डुँगराकोटी उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सी0डि0) के पद पर बाहय न्यायालय लक्सर जिला हरिद्वार में नियुक्त है। प्रार्थी का एक 13 वर्षीय पुत्र है, जो प्रार्थी की पत्नी के साथ ही रहता है तथा लक्सर में ही शिक्षा ग्रहण कर रहा है। प्रार्थी को अपने पारिवारिक और वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने हेतु बार–बार लक्सर (हरिद्वार) जाना पड़ता है। जिला अम्बेडकरनगर जिला हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार अम्बेडकरनगर से हरिद्वार आने–जाने में लगभग 15 से 20 घण्टे का समय लगता है अर्थात् अम्बेडकरनगर से हरिद्वार जाने व आने में लगभग 3 दिन यात्रा में ही व्यय होता है, वह भी उस अवस्था में यदि समय से रेलवे में आरक्षण मिल जाए। अतः स्पष्ट है कि अपने वैवाहिक एवं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने हेतु प्रार्थी को अम्बेडकरनगर से जिला हरिद्वार जाने में अत्यधिक समय यात्रा में व्यय करना पड़ता है, इसके अतिरिक्त अत्यधिक धन व ऊर्जा भी व्यय होती है, जिस कारण प्रार्थी सामान्य साप्ताहिक अवकाश या 2–3 दिन के राजकीय अवकाशों में अपनी पत्नी व पुत्र के पास नहीं जा सकता है, इसके लिए अतिरिक्त अवकाश लेने की आवश्यकता होती है तथा प्रार्थी की पत्नी को भी प्रार्थी के पास आने के लिए अत्यधिक समय, धन व ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है तथा अतिरिक्त अवकाशो की आवश्यकता होती है।

इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की यह नीति रही है कि यदि पति पत्नी दोनों न्यायिक

सेवा में हो तो उन्हें एक ही स्थान पर नियुक्त किया जाता रहा है तथा किसी एक के दूसरे राज्य में नियुक्त होने पर यथासम्भव करीब की नियुक्ति दी जाती रही है तथा सम्भव होने पर इसी आधार पर दूसरे राज्य में डेप्यूटेशन पर भी भेजा जाता रहा है। इसी प्रकार की नीति केन्द्रीय सरकार की भी है कि अलग–अलग राज्यों में नियुक्त पति–पत्नी को एक ही राज्य के कैडर में रखा जाएगा। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड का विशेष सर्कुलर (संलग्न) भी है, जिसके अनुसार यदि किसी न्यायिक अधिकारी की पत्नी अथवा पति पड़ौसी राज्य में न्यायिक अधिकारी है तो उसको सीमावर्ती जिलों में नियुक्ति दी जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी सरकारी संगठनों व माननीय उच्च न्यायालयों की नीति, सेवारत पति–पत्नी को निकट रखने की रही है।

अतः उक्त परिस्थितियों में जबकि प्रार्थी व उसकी पत्नी दोनों ही न्यायिक सेवा के सदस्य है, यद्यपि वे दो अलग–अलग पड़ौसी राज्यों की न्यायिक सेवा में हैं, उन्हें अपने वैवाहिक दायित्वों के निर्वहन हेतु नजदीक के जिलों में नियुक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि प्रार्थी की पत्नी उत्तरप्रदेश के सीमावर्ती जिले हरिद्वार में नियुक्त है अतः यदि प्रार्थी की नियुक्ति भी हरिद्वार के निकटवर्ती जिले में की जाती है तो दोनों न्यायिक अधिकारी अपना अधिकतम समय व ऊर्जा न्यायिक कार्य में समर्पित कर सकेंगे।

अतः विनम्र निवेदन है कि यद्यपि जिला अम्बेडकरनगर में प्रार्थी का नियमित कार्यकाल 03 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है परन्तु उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का समय से पूर्व स्थानान्तरण हरिद्वार के किसी निकटवर्ती जिले में करने की कृपा की जाये। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण 2023 का प्रारूप ई–पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

प्रार्थी के उक्त प्रत्यावेदन पर माननीय उच्च न्यायालय के सहानुभूतिपूर्ण विचारण के लिए प्रार्थी सदैव आभारी रहेगा।

सादर

भवदीय,

8.11.22

दिनांक–08–11–2022

(विजय कुमार डुँगराकोटी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–2, अम्बेडकरनगर।

संलग्नक–
माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल का परिपत्र।

From

Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

To

1. All the District Judges, Subordinate to High Court of Uttarakhand.
2. Principal Secretary Law-cum-L.R., Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. Principal Secretary Legislative & Parliamentary Affairs, Government of Uttarakhand, Dehradun.
4. Director, Uttarakhand Judicial And Legal Academy, Bhowali, Distt. Nainital.
5. Chairman, Commercial Tax Tribunal, F-6, Nehru Colony, Hardwar Road, Dehradun.
6. Chairman, State Transport Appellate Tribunal, 3/5 A, Race Course, Near Rinku Medicose, Dehradun.
7. Secretary, Lokayukt, 3/3, Industrial Area, Patel Nagar, Dehradun.
8. Principal Judge, Family Court, Dehradun and Judges, Family Court, Hardwar, Nainital, Pauri Garhwal & Udham Singh Nagar.
9. Registrar, State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttarakhand, House No 176, Ajabpur Kalan, Near Spring Hills School, Mothrowala Road, Dehradun, 248415
10. Member-Secretary, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital.
11. Presiding Officer, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Haldwani, Distt. Nainital.
12. Presiding Officer, Labour Courts, Dehradun, Hardwar and Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar.
13. Presiding Officer, Food Safety Appellate Tribunal, Dehradun and Haldwani, District Nainital.
14. Registrar, Public Service Tribunal, Uttarakhand, Dehradun.
15. Chairman, Uttarakhand Co-operative Tribunal, Dehradun.
16. Registrar-cum-Secretary, State Level Police Complaint Authority, Dehradun.
17. Additional Secretary (Law), Public Service Commission, Gurukul Kangari, Hardwar

C.L. No. 05 /UHC/Admin.A/2016 Dated: April 11, 2016

Subject: **Posting of Judicial Officers, whose spouse is serving as Judicial Officer in any of the adjoining States.**

Sir,

On the subject noted above, I have to inform that the Hon'ble Court is pleased to resolve that posting of such Judicial Officers of the State Judiciary of Uttarakhand, whose spouse is serving as Judicial Officer in any of the adjoining States will be given in the border area adjacent to those States, as far as possible and practicable, provided his/her spouse is also posted in border area. However, this facility will not be provided as a matter of right and the matter regarding such posting will be considered only subject to paramount interest of the State Judiciary.

You are therefore, informed accordingly.

Yours faithfully,

(D.P. Gairola)

No. 1601 /XIII-h-2/Admin.A/2016 Dated: April 11, 2016

Copy forwarded for information to:

1. P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice.
2. P.S. to Hon'ble Judge(s) with the request to place it before His Lordship for kind perusal.
3. All the Registrars of the Court.
4. Joint/ Deputy/ Assistant Registrars & Section Officers of the Court.
5. I/c N.I.C., High Court of Uttarakhand, Nainital.

Registrar General

Self Attested
8.11.22